



अखण्ड भारत सन्देश

प्रयागराज से प्रकाशित

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज शुक्रवार, 1 जनवरी, 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

बंदिशों के बीच नए साल का स्वागत

देश के कई हिस्सों में रात्रि कर्फ्यू, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति ने दी बधाई

इस बार नए साल 2021 का स्वागत कुछ अलग अंदाज में हुआ। कोरोना संकट के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में रात्रि कर्फ्यू तथा नववर्ष के आयोजनों पर बंदिशों के कारण जश्न परवान नहीं चढ़ पाया। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी निगरानी रखी गई।

नई दिल्ली। इस बार नए साल 2021 का स्वागत कुछ अलग अंदाज में हुआ। कोरोना संकट के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में रात्रि कर्फ्यू तथा नववर्ष के आयोजनों पर बंदिशों के कारण जश्न परवान नहीं चढ़ पाया। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी निगरानी रखी गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तथा ड्रोन की तैनाती रही। इस बीच, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए कोरोना संकट काल में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की है।

दिल्ली: नए साल के जश्न को देखते हुए कर्नाट प्लेस में एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राजधानी में आज और कल नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दो दिन के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया। यह आदेश 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक लागू है।

कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे

किसानों ने नए साल की पूर्व संख्या पर कैंडल लाइट मार्च निकाला। वहीं, मुंबई में भी लोगों की निगरानी के लिए करीब 30 हजार पुलिसकर्मी तथा ड्रोन की तैनाती की गई। शहर में धारा 144 लागू रही। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से ही लागू कर दिया गया।

ओडिशा तथा केरल में नए साल के आयोजनों को देखते हुए कई बंदिशें लगा दी गईं। ओडिशा में गुरुवार रात दस बजे से कर्फ्यू रहा। केरल में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहा तथा निगरानी के लिए ड्रोन तैनात रहे।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी चूक न हो और कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रहे। कनाट प्लेस व अन्य भीड़ वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखी गई।

दिल्ली: नए साल की पूर्व संख्या पर राजधानी दिल्ली के खान मार्केट इलाके को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू के दौरान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम और पांच से अधिक लोगों



के एक साथ खड़े होने की भी अनुमति नहीं दी गई। हालांकि लाइसेंसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट पर यह प्रतिबंध नहीं रहा। उत्तर प्रदेश: कोरोना महामारी के

चलते नए साल के जश्न के लिए गोरखपुर में कुछ ही लोग बाजार में खरीदारी करते दिखे।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोरोना महामारी के चलते नए साल के जश्न

के लिए कुछ ही लोग बाजार में खरीदारी करते दिखे। फूलों के एक दुकानदार ने बताया कि इस बार कोरोना की वजह से माहौल थोड़ा ठंडा है, पिछले साल काम अच्छा था।

हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में रात 10 से 6 बजे के बीच रात का कर्फ्यू लगा रहा। नए साल के मौके पर

शिमला में पुलिस लोगों को रिज क्षेत्र को खाली करने की घोषणा करती नजर आई। शिमला में रात 10 बजे से कर्फ्यू की सख्त पाबंदियां थीं। जैसे नियम का भी ख्याल नहीं रखा गया।

कोविड दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज कर सामूहिक रूप से जश्न मनाया। इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क जैसे नियम का भी ख्याल नहीं रखा गया।

साल 2021 के पहले दिन पीएम मोदी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 के पहले दिन भारत के शहरी परिवर्धन को बदलने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला डटअ (शहरी) और आशा-भारत पुरस्कार वितरित करेंगे।



नई दिल्ली, एएनआइ। साल 2021 के स्वागत को लेकर सभी देशवासी तैयार हैं। देश का हर एक शख्स इस साल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं, इस बीच नए साल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 के पहले दिन छह राज्यों के छह स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले इंटरक्यूबिक श्रेणी के लोगों के लिए 1144 मकानों की शुरुआत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही

पीएम मोदी आशा-भारत पुरस्कारों का वितरण भी करेंगे। सरकार द्वारा जारी विचारों के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजकोट में उपस्थित होंगे। इसमें कहा गया है कि हरित निर्माण तकनीक का उपयोग कर शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करने

संबंधी एलएचपी परियोजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के मकान जमींदोज कर प्रशासन ने दिया सख्त संदेश, माहौल बिगाड़ने की हुई थी कोशिश

इंदौर और उज्जैन के प्रशासन ने त्वरित और साहसपूर्ण कार्रवाई कर पत्थरबाजों के मकान जमींदोज कर कड़ा संदेश दिया है। नियमानुसार कार्रवाई के साथ प्रशासन ने सुशासन का यह संदेश भी दे दिया कि वैमनस्य फैलाने की किसी भी घटना पर बेहद कठोर कार्रवाई होगी।

इंदौर, जेएनएन। मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में अवैध निर्माण कर बनाए गए घरों से ना केवल श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धनसंग्रह करने को निकले रामभक्तों पर अकारण पथराव किया गया बल्कि माहौल खराब कर प्रशासन को भी चुनौती दी गई। इंदौर और उज्जैन के प्रशासन ने त्वरित और साहसपूर्ण कार्रवाई कर पत्थरबाजों के मकान जमींदोज कर कड़ा संदेश दिया है। नियमानुसार कार्रवाई के साथ प्रशासन ने सुशासन का यह संदेश भी दे दिया कि वैमनस्य फैलाने की किसी भी घटना पर बेहद कठोर कार्रवाई होगी।

इस दौरान प्रशासन ने उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई भी की। पहली घटना उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में 25 दिसंबर को हुई। धनसंग्रह के लिए निकले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर जमकर



पथराव किया गया। इसमें नौ लोग घायल हो गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। इसके तत्काल बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन मकानों को चिह्नित किया, जहां से पथराव किया गया था। इसके बाद उनका रिकॉर्ड खंगाला गया और मुख्य माम स्थित तीन लोगों के मकान चिह्नित किए गए। इनका अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। प्रशासन इनको नोटिस भी जारी कर चुका था। ऐसे में अधिकारियों ने एक मकान को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा। अगले दिन 26 दिसंबर को प्रशासन का अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गया। प्रशासन को रोकने की गरज से चार घंटे से भी ज्यादा समय तक लोगों ने हंगामा किया। शहरकाजी खलीकुरेहमान ने तो

धमकी भरे अंदाज में ये तक कह दिया कि यदि शहर की फिजा बिगड़ी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे लेकिन अधिकारी पीछे नहीं हटे। कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और फिर भीड़ को हटाकर मकान गिरा दिया गया। चौबीस घंटे से भी कम समय में हुई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने आसपास के अन्य मकानों का रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू कर दिया था। दूसरी घटना 29 दिसंबर को इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के चांदनखेड़ी गांव में हुई। यहां भी मंदिर निर्माण के लिए निकाली जा रही जर्दजागरण रैली पर गांव में पथराव

में प्रशासन और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन कर बनाए गए मकानों के अतिरिक्त हिस्सों को तोड़ दिया। 30 दिसंबर को चांदनखेड़ी मुख्य मार्ग के कई मकानों के अवैध हिस्से भी गिरा दिए गए।

इंदौर के कलेक्टर मनीषसिंह ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चांदनखेड़ी के मामले में पुलिस और प्रशासन ने तैयारियों पर कार्रवाई की। यहां मुख्य मार्ग की सड़क बहुत संकरा थी, जिस कारण निकलने वालों के साथ विवाद होते रहते थे। अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ी करने से अब विवाद भी खत्म हो जाएंगे।

उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि बेगमबाग क्षेत्र में जिस मकान से पथराव हुआ था, वह अवैध था। 24 दिसंबर को नोटिस दिया गया था। उस पर कार्रवाई होनी थी। घटना के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। पथराव करने वाले पांच लोगों पर रासुका लगाई गई है, जबकि 18 अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है।

हाईकोर्टों में 66 नए जज नियुक्त, 90 एडीशनल जजों को किया गया स्थाई

देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों का अंबार बड़ी चुनौती है। इससे निबटने के लिए लगातार योजनाएं भी बनती रहती हैं लेकिन अगर न्यायाधीशों के खाली पड़े सभी पद भर दिये जाएं तो शायद समस्या काफी कुछ हल हो सकती है। पढ़ें यह रिपोर्ट...



माला दीक्षित, नई दिल्ली। अदालतों में लगा मुकदमों का अंबार बड़ी चुनौती है। इससे निबटने के लिए लगातार योजनाएं भी बनती रहती हैं लेकिन अगर न्यायाधीशों के खाली पड़े सभी पद भर दिये जाएं तो शायद समस्या काफी कुछ हल हो सकती है। वैसे तो न्यायपालिका और सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है और 2020 में देश के विभिन्न हाईकोर्टों में कुल 66 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुईं जबकि 90 एडीशनल न्यायाधीशों को स्थाई किया गया लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्टों में न्यायाधीशों के एक-तिहाई से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।

देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1079 पद मंजूर हैं। इसमें से 414 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा रिक्तियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं जहां न्यायाधीशों के 63 पद खाली हैं। हालांकि साल भर में उच्च न्यायालयों में कुल 90 एडीशनल न्यायाधीशों को स्थाई भी किया गया है। न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक दिसंबर 2020 को देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद खाली हैं। ये संख्या कुल मंजूर पदों की एक तिहाई से ज्यादा है।

देश भर की अदालतों में शीघ्र से लेकर सबसे निचले स्तर तक करीब

पांच करोड़ मुकदमे लंबित हैं। अगर देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर निगाह डाली जाए तो देश भर के उच्च न्यायालयों में कुल 56.42 लाख मुकदमे लंबित हैं। इसमें 40.76 लाख दीवानी केस हैं। 15.65 लाख आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें 49.05 लाख मुकदमे एक साल से पुराने हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही न्यायाधीशों के सबसे ज्यादा पद खाली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थाई और एडीशनल को मिला कर न्यायाधीशों के कुल 160 पद मंजूर हैं जबकि अभी काम सिर्फ 97 न्यायाधीश कर रहे हैं और 63 पद खाली हैं। जबकि वर्ष 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 नये न्यायाधीशों की नियुक्त हुई और

31 एडीशनल न्यायाधीश स्थाई किए गए।

इसके अलावा बाबे हाईकोर्ट में 4, गुजरात में 7, कर्नाटक में 10, आंध्र प्रदेश में 7, जम्मू कश्मीर में 5, केरल में 6, राजस्थान में 6, पंजाब एवं हरियाणा में 1, मणिपुर में 1, कलकत्ता में 1, ओडिशा में 2, त्रिपुरा में 1, तेलंगाना में 1 और मद्रास हाईकोर्ट में 10 नए न्यायाधीशों की नियुक्त हुई। जबकि कुल 90 एडीशनल न्यायाधीशों स्थाई किये गए जिसमें इलाहाबाद में 31, कर्नाटक में 10, कलकत्ता में 16, मद्रास में 9, छत्तीसगढ़ में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, पंजाब एवं हरियाणा में 7, बाबे में 4, केरल में 4, झारखंड में 2, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 3 एडीशनल न्यायाधीश स्थाई किये गए। इसके अलावा तीन एडीशनल न्यायाधीशों को कार्यकाल बढ़ाया गया। अब अगर इन कुछ खास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के खाली

पदों पर निगाह डाली जाए तो इलाहाबाद में 63, आंध्र प्रदेश में 18, बाबे में 30, कलकत्ता में 37, दिल्ली में 30, गुजरात में 22, कर्नाटक में 16, मध्य प्रदेश में 23, मद्रास में 22, पटना में 31, पंजाब हरियाणा में 32, राजस्थान में 27, और तेलंगाना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 10 पद खाली हैं।

इन उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों के आंकड़े देखे जाएं तो बाबे हाईकोर्ट में 5.5 लाख, कलकत्ता में 2.6 लाख, दिल्ली में 91 हजार, गुजरात में 1.4 लाख, मध्यप्रदेश 3.6 लाख, राजस्थान में 5.2 लाख, मद्रास हाईकोर्ट में 5.8 लाख, कर्नाटक में 2.9 लाख, तेलंगाना में 2.3 लाख, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 2 लाख, पटना हाईकोर्ट में 1.7 लाख और झारखंड हाईकोर्ट में 88 हजार मुकदमे लंबित हैं जबकि छत्तीसगढ़ में 75 हजार और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 6.3 लाख केस लंबित हैं।



नए साल के जश्न में पूरी दुनिया हुई सराबोर, एक-दूसरे को कुछ इस तरह दे रहे बधाई

नई दिल्ली, एजेंसियां। साल 2020 को विदा होने में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। यह साल बाकी सालों की अपेक्षा काफी भयावह रहा है। इसलिए लोग 2021 के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विश्व में न्यूजीलैंड समेत कई देशों में 2021 का स्वागत किया जा चुका है। साल 2021 के स्वागत को लेकर यहां आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर नए साल का जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी भी लोग नए साल के जश्न में पूरी तरह से सराबोर हो गए। यहां लोगों ने नदी के किनारे आसमान में आतिशबाजी का आनंद लिया। नए साल की पूर्व संख्या में दिल्ली का राजपथ परिया रोशनी से जगमगा रहा है। भारत में नए साल को लेकर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों में से राष्ट्रपति से लेकर आम लोग भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए साल को लेकर ट्विटर पर लिखा कि मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।